झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017

विषय–सूची

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 (अंगीकृत) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा–4(2) का संशोधन

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 (अंगीकृत) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत के गणतंत्र के 68वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो:–

1. **सक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना–**

(i) यह अधिनियम द्वारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

(iii) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जिसे झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 (अंगीकृत) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा –4(2) का संशोधन**

उक्त अधिनियम, 1991 (अंगीकृत) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा –4(2) में निम्नलिखित शब्द अंतर्स्थापित किये जायेंगे–

"आयोग में एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य के धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने, उनसे संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, अन्वेषण एवं अन्य संबंधित विषयों के लिए एक आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यों–कर्तव्यों के प्रावधान हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 (अंगीकृत) अब झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोगअधिनियम है जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा आठ सदस्य प्रावधानित है।

झारखण्ड राज्य के अधिकतम अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने हेतु झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 4(2) में संशोधन करते हुए आयोग में दो उपाध्यक्ष के स्थान पर तीन उपाध्यक्ष की आवश्यकता महसूस की गयी है।

(डा0 लुईस मराण्डी)
भार–साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 30(A)--170--25-1-2017 ।